आंध्र प्रदेश राज्य और वी. रंगा राव ऐवं अन्य

बनाम

के. रंगनाथन ऐवं अन्य और आंध्र प्रदेश राज्य ऐवं अन्य

21 अगस्त, 1990

(न्यायामुर्ति पी. बी. सावंत और न्यायामुर्ति ऐस. सी. अग्रवाल)

सिविल सेवाएँः आंध्र प्रदेश राज्य और अधीनस्थ सेवा नियम- नियम 22 (ii) (c)- कनिष्ठ अभियंताओं का विलोपन– विद्युत बोर्ड को हस्तांतरित- वरिष्ठता सूची- सरकार द्वारा संशोधित– वैधता- G.O.Ms.No. 1166 दिनांक 7.11.1973- की व्याख्या।

अपीलार्थी और उत्तरदाता जिन्हें मूल रूप से आंध्र प्रदेश विद्युत अधीनस्थ सेवा में कनिष्ठ अभियंता के रूप में नियुक्त किया गया था, को बाद में जी.ओ.ऐम. क्रमांक 1651 दिनांक 28.12.1972 के जबाव में राज्य विद्युत के अन्य कनिष्ठ अभियंताओं के साथ बोर्ड में शामिल होने के लिऐ उनके द्वारा उपयोग किऐ गऐ विकल्प से राज्य विद्युत बोर्ड में स्थानांतरित किया, जो दिनांक 1 अक्टूबर 1973 से प्रभावी हुआ। स्थानांतरण की नियम और शर्तें जीओऐम क्रमांक 1166 दिनांक 7.11.1973 में निर्धारित की गई थी।

स्थानांतरण की तिथि पर, कनिष्ठ अभियंताओं की वरिष्ठता सूची को अंतिम रूप नहीं दिया गया था। हालांकि ऐक वरिष्ठता सूची लोक सेवा आयोग ने 1 अप्रैल, 1964 से पूर्वव्यापी प्रभाव से आंध्र प्रदेश राज्य और अधीनस्थ नियमों के नियम 22 (ii) (c) को हटाने को ध्यान में रखते हुऐ तैयार की गई, जिसे संबंधित कनिष्ठ अभियंताओं के बीच आपत्तियों, यदि कोई हो के लिऐ परिचालित किया था और उनमें से अधिकांश जिनमें याचिकाकर्ता और उत्तरदाता शामिल है, ने 1 अक्टूबर, 1973 से पहले अपने आक्षेप प्रस्तुत किऐ थे।

स्थानान्तरण प्रभावी होने के बाद, राज्य विद्युत बोर्ड ने ऐक संशोधित वरिष्ठता सूची तैयार कर ली थी, लेकिन उच्च न्यायालय ने उक्त सूची को इस आधार पर खारिज कर दिया कि बोर्ड के पास हस्तांतरित कर्मचारियों की वरिष्ठता में बदलाव करने की कोई शक्ति नहीं थी, जिनकी वरिष्ठता सरकार द्वारा तय की गई थी। हालांकि, इसमें कहा गया कि अगर सरकार ने स्थानांतरण आदेश के तहत कोई शक्ति बनाऐ रखी है तो वह वरिष्ठता सूची को संशोधित करने के लिऐ स्वतंत्र होगी।

उपरोक्त टिप्पणियों को ध्यान में रखते हुऐ, सरकार ने वरिष्ठता को संशोधित करने के लिऐ पिछड़े वर्गों (उत्तरदाताओं) से संबंधित सभी व्यक्तियों को ऐक बार फिर कारण बताऐं नोटिस जारी किऐ।

प्रतिवादियों द्वारा ऐक रिट याचिका सरकार द्वारा वरिष्ठता को संशोधित करने पर रोक लगाने के लिऐ दायर की गई, जिस पर उच्च न्यायालय की ऐकल न्यायाधीश पीठ ने वरिष्ठता सूची को संशोधित करने की सरकार की शक्ति को बरकरार रखा। खंड पीठ के समक्ष अपील के लंबित रहने के दौरान, सरकार ने 23 मई, 1981 की जी. ओ. संख्या 233 के माध्यम से ऐक अंतिम संशोधित वरिष्ठता सूची जारी की। इसके बाद डिवीजन बेंच ने संशोधित वरिष्ठता सूची को इस आधार पर खारिज कर दिया कि 7 नवंबर, 1973 के जी. ओ. में ऐक घोषणा की गई थी कि विकल्प का प्रयोग अंतिम था, और चूंकि सरकार और बोर्ड ने कर्मचारियों द्वारा प्रयोग किऐ गऐ विकल्प पर कार्यवाही की और उन्हें सरकारी सेवा से बोर्ड की सेवा में स्थानांतरित कर दिया, उन्हें वरिष्ठता को संशोधित करने से हटा दिया गया और इसी तरह, कर्मचारियों को यह दावा करने से रोक दिया गया कि उनकी वरिष्ठता को किसी भी आधार पर संशोधित किया जाना चाहिऐ, क्योंकि स्थानांतरण "जैसा है" के आधार पर था जिसमें वरिष्ठता शामिल थी, वरिष्ठता को किसी भी आधार पर बाधित नहीं किया जा सकता था क्योंकि सरकार के पास 1 अक्टूबर, 1973 के बाद से कर्मचारियों की वरिष्ठता को बदलने की कोई शक्ति नहीं थी क्योंकि वे सरकारी कर्मचारी नहीं रह गऐ थे, और वरिष्ठता की समीक्षा करने के लिऐ नियम 36ऐ के तहत दी गई शक्ति का उपयोग गलती को सुधारने के लिऐ नहीं किया जा सकता था, और केवल इसलिऐ कि बोर्ड के पास इस तरह से निर्धारित

वरिष्ठता को बदलने का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं था, सरकार ने अब उसके कर्मचारी नहीं होने के बावजुद भी स्वतंत्र क्षेत्राधिकार रखा। इस फैसले को इस न्यायालय के समक्ष अपीलों में चुनौती दी गई थी।

अपीलों को स्वीकार करते हुऐ, इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया :

1.1 सरकार द्वारा शक्ति को आरक्षित रखा गया था, सरकार के पास 1 अक्टूबर, 1973 को या उस तारीख से पहले जब वे सरकार के कर्मचारी थे, कर्मचारियों की वरिष्ठता में परिवर्तन करना व ऐसा करने का प्रत्येक अधिकार सरकार के पास था। सरकार ने 1 अक्टूबर, 1973 के बाद कर्मचारियों की वरिष्ठता को बदलने का अधिकार सुरक्षित नहीं रखा था। भले ही सरकार ऐसा चाहे, लेकिन 1 अक्टूबर, 1973 के बाद कर्मचारियों की वरिष्ठता को बदलने के लिऐ वह अपने पास शक्ति आरक्षित नहीं रख सकती थी। इसके विपरीत सरकार के पास हमेशा उक्त तिथि से पहले उपार्जित कारणों के कारण 1 अक्टूबर, 1973 को कर्मचारियों की वरिष्ठता सूची को संशोधित करने की शक्ति थी। ऐसा करने के लिऐ, सरकार के लिऐ कोई शक्ति आरक्षित रखना आवश्यक नहीं था, क्योंकि ऐसा करने की अंतर्निहित शक्ति सरकार के पास थी। (925 बी; 924 ऐच; 925 ऐ]

1.2 केवल दो सरकारी आदेशों को पढ़कर, और विशेष रूप से वस्तुतः जी. ओ. सं. 1166 यह स्पष्ट है कि 1 अक्टूबर, 1973 को अपीलार्थियों की वरिष्ठता सरकार द्वारा किसी भी समय संशोधित की जानी चाहिऐ थी।

पैराग्राफ 6 का खंड (3) यह स्पष्ट करता है कि आदेश के साथ भेजे गऐ अनुलग्नक में नाम वरिष्ठता के क्रम में व्यवस्थित नहीं थे इससे पता चलता है कि सरकार ने वरिष्ठता सूची को अंतिम रूप नहीं दिया था और उक्त आदेश के साथ बोर्ड को भेजी गई सूची अस्थायी थी और इसलिऐ उस आधार पर वरिष्ठता के लिऐ कोई अधिकार प्रदान नहीं किया। सरकार को ऐसा इसलिऐ कहना पड़ा क्योंकि उस दिन विभिन्न कारणों अर्थात्-गैर-राजपत्रित तकनीकी कर्मचारियों के विकल्पों की प्राप्ति और राजपत्रित तकनीकी कर्मचारियों की अपील लंबित होना, अपीलार्थी और गैर-तकनीकी कर्मचारी, 1 नवंबर, 1956 और 1 अक्टूबर, 1973 के बीच वरिष्ठता स्थिति के संदर्भ में विभिन्न समितियों की सिफारिशों के अनुसार तैयार की गई सामान्य श्रेणीकरण सूचियों के खिलाफ, राज्यों के पुनर्गठन और राज्य में विभिन्न क्षेत्रों के ऐकीकरण से कर्मचारियों की वरिष्ठता में उतार-चढ़ाव था। इसके अलावा, सरकार इस स्थिति को नजरअंदाज नहीं कर सकती थी कि 1 अक्टूबर, 1973 को अपीलार्थियों और प्रत्यर्थियों की वरिष्ठता के संबंध में विवाद नवंबर 1966 से, जब कुछ वर्तमान अपीलार्थियों सहित 10 कनिष्ठ इंजीनियरों ने रिट याचिका दायर की थी, उच्च न्यायालय में लंबित था। इन परिस्थितियों में, यह नहीं माना जा सकता है कि जबकि सरकार राज्यों के पुनर्गठन से उत्पन्न वरिष्ठता के बारे में विवादों के कारण और गैर-राजपत्रित तकनीकी कर्मचारियों आदि के विकल्पों की प्राप्ति न होने के कारण वरिष्ठता सूची को संशोधित करने की शक्ति सुरक्षित रख सकती है।

यह अपीलार्थियों और प्रत्यर्थियों के बीच लंबित विवादों में न्यायालयों के आदेशों से उत्पन्न होने वाली स्थितियों को पूरा करने के लिऐ ऐसी शक्ति को सुरक्षित नहीं रखता था या नहीं रख सकता था। इसके अलावा, भले ही उक्त सरकारी आदेश में ऐसी कोई शक्तियां विशेष रूप से आरक्षित न हों, सरकार ऐसे आदेशों का पालन करने के लिऐ वरिष्ठता सूची को संशोधित करने के लिऐ बाध्य होती। [923 बी-ऐच; 924 ऐ]

1.3 चूंकि सरकार ने कर्मचारियों की सूची बोर्ड को वरिष्ठता के अनुसार व्यवस्थित कर नहीं भेजी थी। सरकारी आदेश के पैराग्राफ 6 के खंड (3) में "जैसा है" अभिव्यक्ति वरिष्ठता के अलावा सेवा शर्तों को संदर्भित करती है। भले ही खंड (4) के अंत में "आदि" शब्द के अर्थ में न्यायालय में लंबित वरिष्ठता के संबंध में विवाद को शामिल नहीं किया गया, लेकिन यह सरकार को न्यायालय के आदेशों की पालन करने से छूट नहीं देता। यह अभिनिर्धारित करना कि सरकार अपने स्वयं के आदेश जैसा कि सरकार के वर्तमान आदेश द्वारा किसी भी न्यायालय के आदेश के निष्पादन को रोक सकती है, कार्यपालिका और न्यायपालिका के क्षेत्राधिकार क्षेत्र में टकराव को आमंत्रित करना है। इसी तरह, सरकार कर्मचारियों को वरिष्ठता के संबंध में उसकी शर्त को स्वीकार करने के लिऐ मजबूर नहीं कर सकती थी। वास्तव में उक्त सरकारी आदेश में ऐसी कोई शर्त निर्धारित नहीं की गई थी। इसलिऐ, यह नहीं कहा जा सकता है कि अपीलकर्ताओं ने वरिष्ठता को स्वीकार कर लिया था जैसा कि सरकार द्वारा बोर्ड को भेजा

गया था और इसलिऐ वे वरिष्ठता को चुनौती देने से विबंधित है। न्यायालय का निर्णय कानून होने के कारण, इसके खिलाफ विबंधन की दलील कोई विरोध नहीं उठायी जा सकती है। [925 सी-ऐफ]

1.4 यह स्थापित सिद्धांत है कि उपचार के बिना अधिकार नहीं हो सकता है। कानून इस तरह की रिक्तता को नापसंद करता है। लेकिन, दो अवधियाँ हैं जिनके संबंध में वरिष्ठता को बदलने की शक्ति की जांच की जानी है। पहली अवधि 1 अक्टूबर, 1973 तक है और दूसरी उसके बाद शुरू होती है। पहली अवधि में, सरकार और स्थानांतरित कर्मचारियों के बीच नियोक्ता-कर्मचारी का संबंध था। इसलिऐ, सरकार को उस तारीख तक कर्मचारियों के वरिष्ठता को सुधारने या संशोधित करने का पूरा अधिकार था। इसलिऐ, यदि सरकार ने 1 अक्टूबर, 1973 तक वरिष्ठता सूची तैयार करने में जानबूझकर या अनजाने में कोई त्रुटि की थी, या अदालतों के फैसलों के कारण उसे उक्त वरिष्ठता सूची में संशोधन करना पड़ा था, तो न केवल उसके पास ऐसा करने की शक्ति थी, बल्कि सरकार ही ऐकमात्र प्राधिकरण था जो ऐसा कर सकता था। वरिष्ठता सूची जो सरकार द्वारा संशोधित की गई थी, वह 1 अक्टूबर, 1973 को या उससे पहले की थी। [925 ऐच; 926 ऐ-बी]

इन परिस्थितियों में, उच्च न्यायालय का निर्णय कानूनन नहीं होने से अपास्त किऐ जाने योग्य है। सरकार द्वारा 23 मई, 1981 के सरकारी

आदेश संख्या 233 के साथ बोर्ड को भेजी गई संशोधित वरिष्ठता सूची को पुनः प्रभावी किया जाता है और प्रत्यर्थी- बिजली बोर्ड को उसी पर कार्यवाही करने का निर्देश दिया जाता है। (926 सी)

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार: सिविल अपील सं. 5336 & 5337/1983

उच्च न्यायालय आंध्रप्रदेश की डब्ल्यू.ऐ. सं. 194/1981 किये निर्णय और डिक्री दिनांक 15.07.1982 से।

पी. पी. राव, ऐस. सीतारामय्या, के. परासरन, T.V.S.N. चारी, सुश्री. बी. सुनीता राव, सुश्री मंजुला गुप्ता, बी. पार्थसारथी, ऐ. सुब्बा राव, ऐ.डी.ऐन. राव और के. आर. चौधरी उपस्थित दलों के लिऐ ।

न्यायालय का निर्णय दिया गयाः-

न्यायामुर्ति सावंत, इन मामलों का इतिहास उतार-चढ़ाव वाला है। अपीलकर्ताओं के साथ-साथ अधिकांश प्रतियोगी उत्तरदाताओं को 1959 और 1963 के बीच आपातकालीन आधार पर आंध्र प्रदेश विद्युत अधीनस्थ सेवा में कनिष्ठ अभियंता के रूप में नियुक्त किया गया था। जब वे 24 अप्रैल, 1963 को सेवा में थे, आंध्र प्रदेश लोक सेवा आयोग (इसके बाद "आयोग" से संदर्भित) ने कनिष्ठ अभियंताओं के 246 पदों पर सीधी भर्ती हेतु नियमित नियुक्ति हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित किये गये तथा 21 दिसम्बर, 1963 को आयोग ने चयनित उम्मीदवारों की ऐक सूची राज्य सरकार को

भेजी। हालाँकि, यह सूची योग्यता के अनुसार नहीं बल्कि उम्मीदवारों के बीच वरिष्ठता के अनुसार व्यवस्थित की गई थी।15 अप्रैल, 1964 को, आयोग ने आंध्र प्रदेश राज्य और अधीनस्थ सेवा नियम (बाद में "नियम" के रूप में संदर्भित) जिसके द्वारा सेवा शासित होती थी, के नियम 22 (ii) (सी) द्वारा निर्धारित आरक्षण का अनुपालन करने के बाद योग्यता और वरिष्ठता के अनुसार उनके नाम व्यवस्थित करते हुऐ चयनित उम्मीदवारों की सूची सरकार को भेजी थी। 11 अगस्त, 1964 को, राज्य सरकार ने 1 अप्रैल, 1964 से पूर्वव्यापी प्रभाव से नियम 22(ii)(सी) को हटाकर उक्त नियमों में संशोधन किया। यह संशोधन इस न्यायालय के निर्णय ऐमआर बालाजी ऐवं अन्य बनाम मैसूर राज्य, ऐआईआर 1963 ऐससी 649 [1963] अनुपूरक 1 ऐससीआर. के अनुपालन के लिऐ किया गया था। इस तथ्य के बावजूद कि नियमों को पूर्वव्यापी प्रभाव से 11 अगस्त, 1964 को संशोधित किया गया था, राज्य सरकार ने 29 अप्रैल, 1965 को चयनित उम्मीदवारों की सूची को राजपत्रित कर दिया, जैसा कि आयोग ने उन्हें 15 अप्रैल, 1964 को भेजा था। परिणाम यह हुआ कि राजपत्रित सूची उक्त नियमों के उल्लंघन में थी। राजपत्र अधिसूचना के बाद, 29 अप्रैल, 1965 को सरकार के मुख्य अभियंता ने उक्त सभी उम्मीदवारों को आयोग द्वारा सूचित वरिष्ठता के क्रम के अनुसार कनिष्ठ अभियंता के पद पर नियुक्त किया, जिसमें अपीलकर्ता और प्रतिवादी और अन्य शामिल थे। नियुक्त उम्मीदवारों को कुल दो वर्ष की अवधि के लिऐ परिवीक्षा पर रखा गया था।

2. उक्त सूची में अधिसूचित वरिष्ठता को गैर-आरक्षित श्रेणी से संबंधित 10 जूनियर इंजीनियरों द्वारा नवंबर 1966 में आंध्र प्रदेश के उच्च न्यायालय में ऐक रिट याचिका संख्या 2146/1966 द्वारा चुनौती दी गई क्योंकि यह इस न्यायालय के उक्त निर्णय के साथ-साथ नियमों के भी विपरीत था,जो दिनांक 11 अगस्त, 1964 को संशोधित ऐवं दिनांक 1 अप्रैल 1965 से प्रभावी किऐ गऐ थे। विद्वान ऐकल न्यायाधीश ने रिट पिटीशन का निस्तारण सरकार के सरकारी अधिवक्ता को संबोधित मीमो नंबर 3373 ई/70 दिनांकित 17 जुलाई 1970 में दिऐ आश्वासन पर किया, जिसमें सरकार द्वारा आश्वासन दिया कि जहां तक याचिकाकर्ताआेंं का सवाह है, संशोधित नियमों के अनुपालना में वरिष्ठता सूची को संशोधित किया जाऐगा। दुर्भाग्य से, विद्वान न्यायाधीश ने उस भेदभाव की विवेचना नहीं की, जिसके लिऐ उक्त आश्वासन दिया गया था, क्योंकि आश्वासन केवल उनके सामने याचिकाकर्ताओं से संबंधित था और बाकी जूनियर इंजीनियरों से संबंधित नहीं था। हालाँकि मामला वहीं शांत हो गया था।

3. 28 दिसंबर 1972 को, राज्य सरकार ने याचिकाकर्ताओं और प्रतिवादियों सहित सभी जूनियर इंजीनियरों को सरकारी सेवा और आंध्र प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड में स्थायी स्थानांतरण के बीच चयन करने का विकल्प दिया।

4. स्थानांतरण प्रभावी होने से पहले, ऐसा प्रतीत होता है कि राज्य सरकार द्वारा विद्वान ऐकल न्यायाधीश को दिऐ गऐ आश्वासन के अनुसरण में वरिष्ठता सूची को बदलने के लिऐ सरकार और आयोग के बीच ऐक पत्राचार हुआ था। आयोग की राय थी कि उक्त रिट याचिका में केवल 10 याचिकाकर्ताओं के संबंध में वरिष्ठता सूची में बदलाव नहीं किया जा सकता है और संशोधित नियमों का पालन करने के लिऐ चयनित सभी उम्मीदवारों के संबंध में इसे बदलना होगा। तदनुसार, आयोग ने 27 जून 1973 को संशोधित वरिष्ठता सूची राज्य सरकार को भेज दी। सरकार ने उक्त सूची को स्वीकार कर लिया और 23 जुलाई, 1973 को अपने मुख्य अभियंता को उक्त संशोधित सूची को प्रसारित करने और ऐक निर्धारित अवधि के भीतर उस पर आपत्तियां आमंत्रित करने का निर्देश दिया। 'तदनुसार, मुख्य अभियंता द्वारा अपने मेमो दिनांक 8 अगस्त, 1973 द्वारा उक्त वरिष्ठता सूची प्रसारित की गई और सभी संबंधित कनिष्ठ अभियंताओं से आपत्तियां आमंत्रित की गई। उत्तरदाताओं सहित उनमें से अधिकांश ने 1 अक्टूबर, 1973 तक अपनी आपत्तियां प्रस्तुत कीं और उस तारीख से याचिकाकर्ताओं और उत्तरदाताओं सहित उन जूनियर इंजीनियरों को, जिन्होंने बिजली बोर्ड में शामिल होने के लिऐ अपने विकल्प का प्रयोग किया था, बोर्ड में स्थानांतरित कर दिया गया था।

5. जैसा कि ऊपर कहा गया है, सरकार ने 7 नवंबर, 1973 के अपने आदेश से 1 अक्टूबर, 1973 से उन जूनियर इंजीनियरों को स्थानांतरित कर

दिया, जिन्होंने बोर्ड के साथ सेवा का विकल्प चुना था। इस आदेश को 1 अक्टूबर 1973 से प्रभावी किया गया, वह आदेश जीओऐम संख्या 1166 वर्तमान मामले में महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि उक्त दस्तावेज़ के पैराग्राफ 6(3) और 6(4) की सामग्री पर उच्च न्यायालय के साथ-साथ दोनों पक्षों द्वारा अपने-अपने तर्कों के समर्थन में उपयोग किया गया है। उक्त सामग्री को यहां शुरुआत से पुन: प्रस्तुत किया जा सकता है:

> "6(3)। स्थानांतरण 'जैसा है' के आधार पर किया गया है और अनुसूची में वर्णित नाम वरिष्ठता के क्रम में व्यवस्थित नहीं हैं;
>
> 6(4) जिन व्यक्तियों का आंध्र प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड में स्थानांतरण हुआ है, उसकी वरिष्ठता वही रहेगी, जो 1 अक्टूबर 1973 को सरकार के अधीन थी। इनका स्थानांतरण उपर वर्णित उप-पैरा (1) में वर्णित व्यक्तियों की वरिष्ठता पर प्रतिकूल रूप से प्रभावित नहीं करेगा, जिन्हें सरकार द्वारा बाद में किसी आदेश द्वारा बोर्ड से स्थानांतरित किया जा सकता है। 1.11.1956 से 1.10.1973 के बीच की स्थिति के संबंध में वरिष्ठता को सरकार द्वारा किसी भी समय सामान्य पदक्रम सूची की लम्बित अपीलों या उच्चाधिकार समिति,

राज्य सलाहकार समिति, केंद्रीय सलाहकार समिति इत्यादि की अनुशंषाओ पर संशाधित किया जा सकता है।

6. 5 नवंबर, 1974 को विद्युत बोर्ड के मुख्य अभियंता (जिसमें याचिकाकर्ताओं और उत्तरदाताओं को 1 अक्टूबर, 1973 से स्थायी रूप से स्थानांतरित कर दिया गया था) ने प्रभावित जूनियर इंजीनियरों से प्राप्त वरिष्ठता सूची के खिलाफ अभ्यावेदन पर विचार करने के बाद संशोधित वरिष्ठता सूची जारी की। इस वरिष्ठता सूची को उत्तरदाताओं और पिछड़े वर्ग के अन्य लोगों द्वारा मई 1972 में उच्च न्यायालय में दायर ऐक रिट याचिका संख्या 6084/74 द्वारा चुनौती दी गई थी। विद्वान ऐकल न्यायाधीश, जिन्होंने अपने आदेश द्वारा उक्त रिट याचिका की सुनवाई की थी, ने 29 मार्च 1978 को उक्त सूची को इस आधार पर रद्द कर दिया कि बिजली बोर्ड के मुख्य अभियंता के पास स्थानांतरित कर्मचारियों की वरिष्ठता को बदलने की कोई शक्ति नहीं थी, जिनकी वरिष्ठता राज्य सरकार द्वारा तय की गई थी। तथापि, उन्होंने पाया कि यदि सरकार ने स्थानांतरण आदेश के तहत कोई शक्ति बरकरार रखी है और यदि ऐसी सलाह दी गई है, तो सरकार वरिष्ठता सूची को संशोधित करने के लिऐ स्वतंत्र होगी। उक्त आदेश से व्यथित होकर याचिकाकर्ताओं ने 25 अगस्त, 1978 को उच्च न्यायालय की डिवीजन बेंच के समक्ष अपील दायर की, जिसे खारिज कर दिया गया।

7. विद्वान ऐकल न्यायाधीश द्वारा की गई टिप्पणियों के मद्देनजर, सरकार ने 23 अगस्त, 1979 को पिछड़े वर्गों (उत्तरदाताओं) से संबंधित सभी व्यक्तियों को ऐक बार फिर कारण बताओ नोटिस जारी किया कि रिट याचिका संख्या 2146/66 का निपटारा करते समय सरकार द्वारा उच्च न्यायालय को दिये गये आश्वासन के अनुसार उनकी वरिष्ठता को संशोधित क्यों नहीं किया जाना चाहिऐ। कुछ उत्तरदाताओं ने 18 नवंबर, 1979 को कारण बताओ नोटिस का जवाब दिया और उनमें से कुछ ने वरिष्ठता को संशोधित करने से सरकार को रोकने के लिऐ 7 दिसंबर, 1979 को रिट याचिका संख्या 215/1980 के रूप में उच्च न्यायालय में ऐक रिट याचिका दायर की। उसी समय, फरवरी 1986 में, रिट याचिका संख्या 2146/66 के कुछ याचिकाकर्ताओं ने रिट याचिका का निपटारा करते समय सरकार द्वारा दिऐ गऐ आश्वासन को लागू करने के लिऐ सरकार को निर्देश देने की मांग के लिऐ उच्च न्यायालय के समक्ष रिट याचिका संख्या 582/80 पेश की। याचिकाकर्ताओं की याचिका में. विद्वान ऐकल न्यायाधीश ने 5 फरवरी, 1981 के अपने फैसले से वरिष्ठता सूची को संशोधित करने की सरकार की शक्ति को बरकरार रखते हुऐ प्रतिवादियों की याचिका को खारिज कर दिया और प्रतिवादियों की रिट याचिका में पारित उक्त आदेश को देखते हुऐ, याचिकाकर्ताओं की याचिका में कोई आदेश पारित नहीं किया गया था।

8. उक्त निर्णय से व्यथित होकर, उत्तरदाताओं ने 30 मार्च, 1981 को डिवीजन बेंच में अपील दायर की। चूंकि अपील के लंबित रहते कोई स्थगन

आदेश नहीं दिया गया था, इसलिऐ सरकार ने अपने आदेश दिनांक 26 मई, 1981 द्वारा उत्तरदाताओं सहित पिछड़े वर्गों के व्यक्तियों के प्रतिनिधित्व पर विचार करने के बाद अंतिम संशोधित वरिष्ठता सूची जारी की। इसके बाद 15 जुलाई, 1982 को उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने उत्तरदाताओं की अपील को यह कहते हुऐ स्वीकार कर लिया कि सरकार के पास वरिष्ठता सूची को संशोधित करने की कोई शक्ति नहीं है। यह वह निर्णय है जो चुनौती के अधीन है।

9. उत्तरदाताओं की ओर से कुछ और जुड़े घटनाक्रमों को ध्यान में लाया गया है। ऐसा प्रकट होता है कि अपीलकर्ताओं और उत्तरदाताओं के साथ, जो डिग्री धारक थे, कुछ डिप्लोमा धारकों को उसी तारीख, अर्थात् 1 अक्टूबर, 1973 से बोर्ड में स्थानांतरित किया गया था। उनमें से कुछ ने वैधानिक नियमों के अनुसार 15 जून 1963 से नियुक्त सहायक अभियंताओं की वरिष्ठता सूची तैयार करने और बोर्ड को इसकी सूचना देने के लिऐ सरकार को निर्देश देने के लिऐ उच्च न्यायालय के समक्ष याचिका संख्या 1657/80 दिनांकित 16 अप्रैल, 1980 को रिट याचिका दायर की थी। 16 अप्रैल, 1982 को विद्वान ऐकल न्यायाधीश ने उक्त याचिका को इस दलील को बरकरार रखते हुऐ अनुमति दी कि उक्त आदेश संख्या 1166 दिनांक 7 नवंबर, 1973 ने राज्य सरकार को 1 अक्टूबर, 1973 को स्थानांतरित कर्मचारियों की वरिष्ठता तय करने की शक्तियाँ दी थीं। इस निर्णय को 26 मार्च, 1987 के अपने निर्णय द्वारा उच्च न्यायालय की ऐक डिवीजन बेंच

द्वारा अपील में बरकरार रखा गया था। उक्त निर्णय के विरुद्ध 1987 की विशेष अनुमित याचिका संख्या 8044 और 10783 को इस न्यायालय द्वारा 30 अक्टूबर, 1987 को खारिज कर दिया गया था और इस न्यायालय ने बोर्ड को भविष्य में इस न्यायालय द्वारा वर्तमान अपील पर दिऐ जाने वाले किसी भी निर्णय के अधीन रहते हुऐ उच्च न्यायालय के आदेश को लागू करने का निर्देश दिया था। 4 अगस्त 1989 को राज्य सरकार ने सहायक अभियंताओं की वरिष्ठता सूची राज्य विद्युत बोर्ड को भेज दी और बोर्ड उसी पर कार्य कर रहा है। परिणाम यह है कि जहां उक्त रिट याचिका संख्या 1657/80 में डिप्लोमा धारक याचिकाकर्ता तो संशोधित वरिष्ठता सूची में लाभार्थी हुऐ, किंतु वर्तमान अपील में डिग्रीधाकर अपीलार्थी नहीं।

10. माननीय उच्च न्यायालय ने तीन आधारों पर संशोधित वरिष्ठता सूची को रद्द किया, पहला आधार यह है कि जिन कर्मचारियों ने क्रमशः 28 दिसंबर, 1972 और 7 नवंबर, 1973 के सरकारी आदेश संख्या 1651 और 1166 के तहत अपने विकल्प का प्रयोग किया था, वे उसमें उल्लिखित नियमों और शर्तों के अधीन थे ऐवं वे उक्त वरिष्ठता को चुनौती देने से विबंधित थे, जो दिनांक 01.10.1973 को सरकार के अधीन होने से उनके पास थी, क्योंकि उक्त वरिष्ठता संशोधित होने योग्य थी, क्योंकि पुराने नियम 22 (ii) (सी) में निहित आरक्षण के नियम को उच्च न्यायालय द्वारा भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 का उल्लंघन करने के कारण रदद घोषित किया गया था। उच्च न्यायालय ने आगे कहा कि 7

नवंबर, 1973 के जीओ नंबर 1166 में ऐक घोषणा थी जो सभी संबंधितों, यानी सरकार, बोर्ड के साथ-साथ कर्मचारियों पर बाध्यकारी थी, कि विकल्प का चयन अंतिम था। चूंकि सरकार और बोर्ड ने कर्मचारियों द्वारा चुने गऐ विकल्प पर कार्रवाई की थी और उन्हें सरकारी सेवा से बोर्ड की सेवा में स्थानांतरित कर दिया था, इसलिऐ वे वरिष्ठता को संशोधित करने से विबंधित थे। इसलिऐ कर्मचारियों को भी यह दावा करने से रोक दिया गया था, कि उनकी वरिष्ठता को किसी भी आधार पर संशोधित किया जावे। उच्च न्यायालय द्वारा दिया गया दूसरा आधार यह था कि स्थानांतरण स्वयं उपरोक्त सरकारी आदेशों में उल्लिखित नियमों और शर्तों के अधीन था, जिसमें कहा गया था कि स्थानांतरण "जैसा है" के आधार पर किया गया था जिसमें वरिष्ठता शामिल थी, किसी भी आधार पर वरिष्ठता से छेड़छाड़ नहीं की जा सकती। उच्च न्यायालय ने इस संबंध में कहा कि संबंधित कर्मचारियों को विशेष रूप से सूचित किया गया था कि अनुलग्नक में उल्लिखित नामों को वरिष्ठता के क्रम में व्यवस्थित नहीं किया गया है और उन्हें आगे सूचित किया गया था कि कर्मचारी अपने साथ वही वरिष्ठता रखेंगे जो 1 अक्टूबर, 1973 में मौजूद थी। ऐकमात्र अपवाद उन कर्मचारियों का है जिनका विशेष रूप से जीओ संख्या 1166 के पैराग्राफ 6 के उप-पैरा (1) में उल्लेख किया गया था। वे व्यक्ति गैर-राजपत्रित तकनीकी कर्मचारी, मंत्रालयिक और कुछ अन्य थे जिनके विकल्प सरकार को पारगमन में देरी या अन्य कारणों से प्राप्त नहीं हुऐ थे। उच्च न्यायालय ने इस तर्क को

अस्वीकार कर दिया कि जीओ संख्या 1166 का खंड 4 में कहा गया है कि कर्मचारी अपनी वरिष्ठता को अपने साथ रखेंगे जैसा कि 1 अक्टूबर 1973 को सरकार के अधीन था, "ऊपर उप-पैरा (1) में निर्दिष्ट व्यक्तियों की वरिष्ठता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, जिन्हें स्थानांतरित किया जा सकता है। सरकार के बाद के आदेश के अनुसार, 1 नवंबर, 1956 और 1 नवंबर, 1973 के बीच की स्थिति के संदर्भ में वरिष्ठता को सामान्य ग्रेडेशन सूची पर लंबित अपीलों के संदर्भ में या किसी भी समय सरकार द्वारा उच्चाधिकार प्राप्त समिति (ऐचपीसी), राज्य सलाहकार समिति (ऐसऐसी), केंद्रीय सलाहकार समिति (सीऐसी) आदि की सिफारिशों पर बदला जा सकता था। "इसमें उन कर्मचारियों के मामले शामिल हैं जिन्होंने अपना अभ्यावेदन दिया था जैसे कि वर्तमान अपीलकर्ता जिन्होंने रिट याचिका संख्या 2145/1966 द्वारा कार्यवाही शुरू की थी और जिसकी कार्यवाही 1 अक्टूबर 1973 तक भी अंतिम रूप से निस्तारित नहीं हुई थी। उच्च न्यायालय ने माना कि शब्द "आदि" केवल उन कर्मचारियों तक ही सीमित था जो राज्य पुनर्गठन अधिनियम या सामान्य ग्रेडेशन सूचियों के खिलाफ अपील पर आदेशों या ऐचपीसी या ऐसऐसी या सीऐसी की सिफारिशों के खिलाफ किऐ गऐ अभ्यावेदन से प्रभावित थे, जो सभी राज्यों के पुनर्गठन के परिणामस्वरूप आंध्र और तेलंगाना क्षेत्रों की सेवाओ के ऐकीकरण से संदर्भित मामले थे। उच्च न्यायालय के अनुसार, उस खंड में अन्य अराजपत्रित तकनीकी कर्मचारियों, मंत्रालयिक और कुछ अन्य, जिन्हें बाद

में स्थानांतरित किया जा सकता है, की 1 अक्टूबर 1973 की वरिष्ठता सूची के परस्पर संशोधन का भी उल्लेख है। लेकिन इसमें उन लोगों का जिक्र नहीं था जिनका पहले ही तबादला हो चुका था। उच्च न्यायालय के अनुसार, यदि यही मंशा होती तो सरकार ने विशेष रूप से ऐसा वर्णित किया होता। उच्च न्यायालय द्वारा दिया गया अंतिम आधार यह था कि सरकार के पास 1 अक्टूबर, 1973 के बाद कर्मचारियों की वरिष्ठता को बदलने की कोई शक्ति नहीं थी क्योंकि वे उपरोक्त दिनांक के बाद सरकारी कर्मचारी नहीं रहे थे। उच्च न्यायालय के मुताबिक नियमावली के नियम 36-ऐ के तहत सरकार को वरिष्ठता के पुनरावलोकन करने की जो शक्ति दी गई है, उसका इस्तेमाल गलती सुधारने के लिऐ नहीं किया जा सकता। उच्च न्यायालय के अनुसार, सवाल यह नहीं है कि क्या पिछली वरिष्ठता सूची वैध थी, बल्कि यह है कि क्या इसे संशोधित किया जा सकता है और यदि हां, तो किस प्राधिकारी द्वारा। वरिष्ठता सूची को संशोधित करने की सरकार की शक्ति केवल उन लोगों के संबंध में थी जो संशोधन की तिथि पर सरकारी कर्मचारी थे। उच्च न्यायालय ने यह भी माना कि केवल इसलिऐ कि बोर्ड के पास तय की गई वरिष्ठता को संशोधित करने का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं था, इसका मतलब यह नहीं है कि सरकार के पास उन कर्मचारियों के संबंध में क्षेत्राधिकार था, जो तब उसके कर्मचारी नहीं थे।

11. उच्च न्यायालय के तर्क की सराहना करने के लिऐ, सबसे पहले जी. ओ. नं. 1651 दिनांक 29 दिसंबर, 1972 और 1166 दिनांक 7 नवंबर, 1973 के प्रासंगिक भागों को पुनः प्रस्तुत करना आवश्यक हैः-

" जी. ओ. ऐमऐस संख्या 1651

.....

3. उपरोक्त के आलोक में मामले की सावधानीपूर्वक जांच करने के बाद, सरकार इस बात पर विचार करती है कि बिजली परियोजनाओं के बड़े हिस्से को बोर्ड को हस्तांतरित करने और इस तथ्य को ध्यान में रखते हुऐ कि बोर्ड बिजली आपूर्ति और वितरण का प्रभारी है, यह उचित होगा कि बोर्ड का कर्मचारियों पर सीधा नियंत्रण होना चाहिऐ और बोर्ड की सभी गतिविधियों का प्रबंधन बोर्ड के कर्मचारियों द्वारा किया जाना चाहिऐ। इसलिऐ सरकार निर्देश देती है कि विद्युत आपूर्ति और रखरखाव आदि में काम करने वाले सरकारी कर्मचारियों को निम्नलिखित नियमों और शर्तों के अधीन निम्नलिखित बोर्ड के अधीन आंध्र प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड के तहत सेवा का विकल्प चुनने का अवसर दिया जाऐ। बोर्डों में स्थानांतरण पर कर्मचारीः

(i) सरकारी कर्मचारी नहीं रहेंगे और इसलिऐ वे आंध्र प्रदेश राज्य निर्वाचित संपत्ति बोर्ड के कर्मचारी होंगे।

(ii) पदोन्नति और अनुशासनात्मक कार्यवाही से संबंधित मामलों सहित सभी मामलों में बोर्ड द्वारा बनाऐ गऐ नियम और विनियम लागु होंगे, हालांकि नीचे दिऐ गऐ बिंदु (iii) के अधीन और आंध्र प्रदेश सिविल सेवा (CC & A) नियम उन पर लागू नहीं होंगे..."

" जी. ओ. ऐमऐस संख्या 1166

.....

4. उपरोक्त आदेशों के संदर्भ में, बोर्ड और मुख्य अभियंता ने इस आदेश के अनुलग्नक में निर्दिष्ट अधिकारियों से विकल्प प्राप्त किऐ और उन्हें सरकार को भेजा।

5. अधिकारियों द्वारा लिऐ गऐ विकल्पों पर सरकार द्वारा सावधानीपूर्वक विचार किया गया था। इस आदेश के अनुलग्नक में उल्लिखित सभी अधिकारियों ने पहले ऊपर पढ़े गऐ जी.ओ. के लिऐ अनुलग्नक में निर्धारित प्रपत्र में बोर्ड सेवा का विकल्प चुना है।

6. अधिकारियों द्वारा लिऐ गऐ विकल्पों को ध्यान में रखते हुऐ, सरकार ने उपरोक्त पैराग्राफ 3 में निर्दिष्ट नियमों और शर्तों और इसके तहत उल्लिखित शर्तों पर इस जी.ओ. के अनुलग्नक में उल्लिखित अधिकारियों की सेवाओं को आंध्र प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड को पूर्वाह्न से स्थानांतरित करने का निर्णय लिया हैः-

(1) गैर-राजपत्रित तकनीकी कर्मचारियों, मंत्रिस्तरीय और कुछ अन्य लोगों के संबंध में आदेश जिनके विकल्प फॉर्म पारगमन में देरी या अन्य कारणों से सरकार को प्राप्त नहीं हुऐ हैं, अलग से जारी किऐ जाऐंगे।

(2).....

(3) स्थानांतरण "जैसा है" के आधार पर है और अनुलग्नक में नाम वरिष्ठता के क्रम में व्यवस्थित नहीं हैं और इसलिऐ उस आधार पर वरिष्ठता के लिऐ किसी को कोई अधिकार प्रदान नहीं करता है।

(4) जिन व्यक्तियों का आंध्र प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड में स्थानांतरण हुआ है, उसकी वरिष्ठता वही रहेगी, जो 1 अक्टूबर 1973 को सरकार के अधीन थी। इनका स्थानांतरण उपर वर्णित उप-पैरा (1) में वर्णित व्यक्तियों की वरिष्ठता पर

प्रतिकूल रूप से प्रभावित नहीं करेगा, जिन्हें सरकार द्वारा बाद में किसी आदेश द्वारा बोर्ड से स्थानांतरित किया जा सकता है। 1.11.1956 से 1.10.1973 के बीच की स्थिति के संबंध में वरिष्ठता को सरकार द्वारा किसी भी समय सामान्य पदक्रम सूची की लम्बित अपीलों या उच्चाधिकार समिति, राज्य सलाहकार समिति, केंद्रीय सलाहकार समिति इत्यादि की अनुशंषाओ पर संशाधित किया जा सकता है।

12. हमें सोचना चाहिऐ था कि केवल इन दोनों सरकारी आदेश और विशेष रूप से जी. ओ. संख्या 1166 को पढ़ना, अपीलार्थियों के इस तर्क को बनाऐ रखने के लिऐ पर्याप्त था कि 1 अक्टूबर, 1973 को उनकी वरिष्ठता सरकार द्वारा किसी भी समय संशोधित की जाने वाली थी। ऐसा इसलिऐ था क्योंकि सबसे पहले, पैराग्राफ 6 का खंड (3) यह स्पष्ट करता है कि आदेश के साथ भेजे गऐ अनुलग्नक में नाम वरिष्ठता के क्रम में व्यवस्थित नहीं थे, और इसलिऐ, वरिष्ठता के लिऐ कोई अधिकार प्रदान नहीं करते थे। इससे पता चलता है कि सरकार ने वरिष्ठता सूची को अंतिम रूप नहीं दिया था और उक्त आदेश के साथ बोर्ड को भेजी गई सूची अस्थायी थी। सरकार को ऐसा इसलिऐ कहना पड़ा क्योंकि उस दिन विभिन्न कारणों से कर्मचारियों की वरिष्ठता में उतार-चढ़ाव था। सबसे पहले, जैसा कि आदेश के पैराग्राफ 1 में कहा गया है, गैर-राजपत्रित

तकनीकी कर्मचारियों, मंत्रिस्तरीय और कुछ अन्य लोगों की वरिष्ठता की व्यवस्था नहीं की जा सकती थी, जिनके विकल्प विभिन्न कारणों से प्राप्त नहीं किऐ गऐ थे। जहाँ तक राजपत्रित तकनीकी कर्मचारियों जैसे अपीलार्थियों के साथ-साथ गैर-तकनीकी कर्मचारियों के संबंध में, 1 नवंबर, 1956 और 1 अक्टूबर, 1973 के बीच वरिष्ठता स्थिति के संदर्भ में ऐचपीसी, ऐसऐसी, सीऐसी आदि की सिफारिशों के अनुसार तैयार की गई सामान्य ग्राशन सूचियों के खिलाफ अपीलें लंबित थीं। यह राज्यों के पुनर्गठन और राज्यों के विभिन्न क्षेत्रों के ऐकीकरण की अगली कड़ी थी। दूसरा, सरकार इस स्थिति को नजरअंदाज नहीं कर सकती थी कि 1 अक्टूबर, 1973 को अपीलकर्ताओं और उत्तरदाताओं की वरिष्ठता के संबंध में विवाद नवंबर 1966 से उच्च न्यायालय में लंबित था, जब जैसा कि पहले कहा गया था, वर्तमान अपीलकर्ताओं में से कुछ सहित 10 कनिष्ठ अभियंताओं ने 1966 की रिट याचिका संख्या 2146 दायर की थी, जिससे आगे की कार्यवाही को बढ़ावा मिला, जैसा कि ऊपर वर्णित है। इन परिस्थितियों में, यह अभिनिर्धारित करना वास्तव में कठिन होगा कि जबकि सरकार राज्यों के पुनर्गठन और/या राजपत्रित तकनीकी कर्मचारियों आदि के विकल्पों की प्राप्ति न होने के कारण उत्पन्न वरिष्ठता के बारे में विवादों के कारण वरिष्ठता सूची को संशोधित करने की शक्ति सुरक्षित रख सकती है, लेकिन उसने

अपीलकर्ताओं और प्रतिवादियों के बीच लंबित विवादों में अदालतों के आदेशों से उत्पन्न स्थिति से निपटने के लिऐ ऐसी शक्ति सुरक्षित नहीं रखी या नहीं रख सकती है। हमारे अनुसार, भले ही ऐसी कोई शक्तियाँ उक्त सरकारी आदेश में सरकार द्वारा आरक्षित ना रखी गई हो, परंतु सरकार ऐसे आदेशों का पालन करने के लिऐ वरिष्ठता सूची को संशोधित करने के लिऐ बाध्य होती।

हमारे मत में उच्च न्यायालय ने इस संबंध में, "हस्तांतरण जैसा है वैसा ही है" अभिव्यक्ति पर बहुत अधिक जोर दिया और आदेश में यह नहीं पढ़ा कि पूरे आदेश का मुख्य उद`देश्य क्या था। आदेश के खंड 3 में ही कहा गया है कि अनुलग्नक में उल्लिखित नाम वरिष्ठता के क्रम में व्यवस्थित नहीं किऐ गऐ थे और इसलिऐ, वरिष्ठता के लिऐ किसी को कोई अधिकार प्रदान नहीं करती है। आदेश के खंड 4 में विशेष रूप से कहा गया था कि लंबित अपीलों आदि के संदर्भ में सरकार द्वारा किसी भी समय वरिष्ठता में परिवर्तन किया जा सकता है। यह मानते हुऐ भी कि सरकार "आदि" शब्द से अदालत में लंबित मामलों को संदर्भित करने का इरादा नहीं रखती थी और केवल संबंधित समितियों की सिफारिशों से उत्पन्न अपीलों को संदर्भित करने का इरादा रखती थी, किसी को भी यह स्पष्ट होना चाहिऐ था कि चाहे सरकार ने अदालतों में लंबित मामलों के संबंध में ऐसी शक्ति सुरक्षित रखी है या नहीं, ऐसे आदेशों का पालन करने के लिऐ सरकार वरिष्ठता सूची को संशोधित करने के लिऐ बाध्य होगी। इन

परिस्थितियों में, "हस्तांतरण जैसा है वैसा ही है" अभिव्यक्ति को वरिष्ठता को छोड़कर सभी सेवा शर्तों तक सीमित रखा जाना चाहिऐ था।

हम यह भी नहीं समझ पा रहे हैं कि सरकार कुछ कर्मचारियों की वरिष्ठता सूची को संशोधित कर सकती थी, जबकि 1 अक्टूबर, 1973 के बाद वे लोग सरकार के कर्मचारी नहीं थे, केवल इसलिऐ कि उन्होंने वरिष्ठता संशोधित करने के लिऐ अपनी शक्तियां सुरक्षित रखी थीं, जबकि अन्य कर्मचारियों के संबंध में ऐसा करने की कोई शक्ति केवल इसलिऐ नहीं थी क्योंकि उन्होंने ऐसी शक्तियां आरक्षित नहीं की थीं। यदि उच्च न्यायालय द्वारा कर्मचारियों के बाद के वर्ग के संबंध में शक्ति की ऐसी कमी के लिऐ दिया गया आधार सही है, अर्थात कि वे सरकारी कर्मचारी नहीं रह गऐ थे, तो इसी कारण से सरकार अन्य कर्मचारियों की वरिष्ठता को बदलने की शक्ति नहीं रख सकती थी, क्योंकि दोनों 1 अक्टूबर, 1973 को और उसके बाद से सरकारी कर्मचारी नहीं रह गऐ थे। यदि शक्ति की कमी सरकार और कर्मचारियों के बीच संबंधों के टूटने के कारण थी, तो क्या सरकार ने शक्ति को सुरक्षित रखा या नहीं, सरकार के पास ऐसी शक्ति नहीं हो सकती थी। दूसरी ओर, यदि सरकार इस तरह की शक्ति का उपयोग केवल इसलिऐ कर सकती है क्योंकि उसने इसे सुरक्षित रखा था, तो वह इसका उपयोग किसी भी कारण से और किसी भी समय के लिऐ कर सकती है, भले ही कर्मचारी सरकारी कर्मचारी न हों। हमारे मत में न्यायालय यह समझने में विफल रहा कि सबसे पहले, भले ही सरकार ने

इच्छा की हो, 1 अक्टूबर, 1973 के बाद कर्मचारियों की वरिष्ठता को बदलने के लिऐ उसके पास आरक्षित शक्ति नहीं हो सकती थी। इसके विपरीत, सरकार के पास हमेशा कर्मचारियों की वरिष्ठता सूची, जो 10 अक्टूबर 1973 को संशोधित करने की शक्ति थी। उक्त तिथि 1 अक्टूबर, 1973 से पहले उपार्जित कारणों के कारण ऐसा करने के लिऐ, सरकार के लिऐ कोई शक्ति आरक्षित रखना आवश्यक नहीं था, क्योंकि उसके पास ऐसा करने की अंतर्निहित शक्ति थी। दुर्भाग्य से अदालत ने जिस बात पर ध्यान नहीं दिया वह यह है कि सरकार ने 1 अक्टूबर, 1973 के बाद कर्मचारियों की वरिष्ठता को बदलने की शक्ति को आरक्षित नहीं रखा था, जैसा कि वह नहीं कर सकती थी। सरकार ने 1 अक्टूबर, 1973 को या उस तारीख से पहले जब वे सरकार के कर्मचारी थे, कर्मचारियों की वरिष्ठता को बदलने की शक्ति सुरक्षित रखी थी, क्योंकि ऐसा करने का उसे पूरा अधिकार था। हमें डर है कि यह प्रारंभिक गलत धारणा है जिसने न्यायालय गलत निष्कर्ष पर पहुँचा था।

13. हम ऊपर बता चुके हैं कि सरकार ने वरिष्ठता के अनुसार व्यवस्थित बोर्ड को कर्मचारियों की सूची नहीं भेजी थी व वरिष्ठता के अलावा सेवा शर्तों के लिऐ संदर्भित परिस्थितियों में "जैसा है" अभिव्यक्ति के साथ भेजी थी। हमने आगे बताया है कि भले ही उक्त सरकारी आदेश के पैराग्राफ 6 के खंड (4) के अंत में "आदि" शब्द का अर्थ अदालत में लंबित वरिष्ठता के संबंध में विवाद को बाहर करने के लिऐ किया गया हो,

लेकिन यह सरकार को अदालत के आदेशों का पालन करने से छूट नहीं देता। यह अभिनिर्धारित करना कि सरकार अपने स्वयं के आदेश जैसे कि वर्तमान ओ. ऐन. सी. द्वारा किसी भी न्यायालय के आदेश के संचालन को रोक सकती है, कार्यपालिका और न्यायपालिका के अधिकार क्षेत्र में टकराव को आमंत्रित करना है, जो हमें यकीन है कि उच्च न्यायालय का इरादा नहीं था। लेकिन अदालत का अनजाने में और सीधे तौर पर तर्क इस तरह के असंवैधानिक प्रस्ताव की ओर ले जाता है।

14. इन्हीं कारणों से सरकार ऐसा नहीं कर सकी, कर्मचारियों को वरिष्ठता के संबंध में कार्यकाल को अपरिवर्तनीय के रूप में स्वीकार करने के लिऐ मजबूर किया। यह इस तथ्य के अलावा है, जैसा कि ऊपर बताया गया है, कि वास्तव में उक्त सरकारी आदेश में ऐसी कोई अवधि निर्धारित नहीं की गई थी। यह मामला होने के कारण, यह नहीं कहा जा सकता है कि अपीलकर्ताओं ने सरकार द्वारा बोर्ड को भेजी गई वरिष्ठता को स्वीकार कर लिया था और इसके बाद उन्हें इसके खिलाफ आंदोलन करने से हटा दिया गया था। यह कहना अनावश्यक है कि अदालत का निर्णय कानून होने के कारण, इसके खिलाफ कोई रोक लगाने की याचिका नहीं उठाई जा सकती है।

15. सम्मान के साथ, हम उच्च न्यायालय के इस तर्क को भी स्वीकार करने में असमर्थ हैं कि चूंकि बोर्ड के पास वरिष्ठता सूची को

बदलने की कोई शक्ति नहीं थी, इसलिऐ यह नहीं कहा जा सकता कि सरकार के पास उक्त शक्ति थी। पहले प्रस्ताव के रूप में, यह अच्छी तरह से स्थापित है कि उपचार के बिना कोई अधिकार नहीं हो सकता। कानून ऐसी शून्यता से घृणा करता है। लेकिन, जैसा कि पहले बताया गया है, दो अवधियाँ हैं जिनके संबंध में वरिष्ठता को बदलने की शक्ति की जांच की जानी है। पहली अवधि 1 अक्टूबर 1973 तक है और उसके बाद दूसरा शुरू होता है। पहले दौर में सरकार और स्थानांतरित कर्मचारियों के बीच नियोक्ता-कर्मचारी का रिश्ता था। इसलिऐ, सरकार को उस तिथि तक कर्मचारियों की वरिष्ठता को सही या संशोधित करने का अधिकार था इसलिऐ अगर सरकार ने 1 अक्टूबर, 1973 तक वरिष्ठता सूची तैयार करने में जाने-अनजाने में कोई त्रुटि की थी, अथवा न्यायालयों के निर्णयों के कारण उसे उक्त वरिष्ठता सूची में संशोधन करना पड़ा था, न केवल उसके पास ऐसा करने की शक्ति थी बल्कि वह ऐकमात्र प्राधिकरण था जो ऐसा कर सकता था। सरकार द्वारा जिस वरिष्ठता सूची को दुरुस्त किया गया वह 1 अक्टूबर 1973 या उससे पहले की वरिष्ठता सूची थी।

16. इन परिस्थितियों में, हमारा विचार है कि उच्च न्यायालय का निर्णय कानूनी कमजोरियों से ग्रस्त है और इसे रद्द किया जाना चाहिऐ। परिणाम यह हुआ कि दोनों अपीलें स्वीकार की जाती हैं। 26 मई 1981 के सरकारी आदेश संख्या 233 के साथ सरकार द्वारा बोर्ड को भेजी गई संशोधित वरिष्ठता सूची बहाल की जाती है और प्रतिवादी- विद्युत बोर्ड को

उस पर कार्रवाई करने का निर्देश दिया जाता है। मामले की परिस्थितियों में, किसी भी अपील में लागत का कोई आदेश नहीं होगा।

अपीलें स्वीकार की गई।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल 'सुवास' की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी आस्था अग्रवाल (आर.जे.एस.) द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्येश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्येश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्येश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।